

:: कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

पृष्ठां.क्रं. 6530 / एक-14-1 / 2020

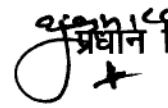
26 JUN 2025
उज्जैन, दिनांक.....2025

प्रतिलिपि -

- 1- विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट, उज्जैन।
- 2- समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन
- 3- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना।
- 4- श्री मिश्रीलाल चौधरी, अधिवक्ता, उज्जैन।
- 5- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।

की ओर श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक, जिला उज्जैन की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये जाने बाबत मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा0कं02034/2025/21-ब(दो) दिनांक 16.06.2025 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16/06/2025

फा0 क0 2034/2025/21-ब(दो), राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2022 के द्वारा श्री मिश्रीलाल चौधरी, अधिवक्ता को लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक, जिला उज्जैन के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक, जिला उज्जैन की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रवीण हजारे)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16/06/2025
19

फा0 क0 2034/2025/21-ब(दो)

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की ओर की सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन, की ओर की आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री मिश्रीलाल चौधरी, अधिवक्ता, निवासी-सी-12/01 महानंदा नगर जिला उज्जैन म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय विधि मंत्रीजी के विशेष सहायक/निज सचिव, की ओर की सूचनार्थ अग्रेषित।
5. आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वेबसाइट पर दर्ज सूची अधतन करने हेतु प्रेषित।

(प्रवीण हजारे)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

26 JUN 2025